

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ: दिनांक: 15-9-2020

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली/पारसी कावन्तिल ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा दिनांक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को आचार्य प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यलय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अर्जित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संबन्धित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सभी का विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मध-3 में डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संघटित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रथम एवं द्वितीय सम्बद्धता समिति द्वारा खंडन विचार-विमर्श कर निम्नानु संशोधन किया गया:-

निची होत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संघटित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईओ द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अर्जित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआईओ द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को अर्जित सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सत्र 2020-21 हेतु गिनतांकित संती के अन्तर्गत पाठ्यक्रम एवं उसमें अर्जित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

| क्र. सं. | संस्था कोड | संस्था का नाम | पाठ्यक्रम का नाम | पीसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता | पीसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता |
|----------|------------|--|---------------------|--|--|
| 1 | 2644 | आचार्य चानक्य महाविद्यालय फार्मसी, सुल्तानपुर। | डिप्लोमा इन फार्मसी | 80 | 80 |

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था पीसीआईओ/पीसीआईओ द्वारा गिनतांकित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमधारी 1992, सेमेस्टर विनियमधारी-2018 तथा अन्य निर्मित विनियम एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निगरान समिति द्वारा निर्धारित शुल्क हीन वार्षिक इन्जीन पाठ्यक्रमों हेतु ₹20,30,150.00/- प्रतिवर्ष जो वार्षिक पारसी पाठ्यक्रम हेतु ₹20,45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक पारसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹20,25,000.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्राप्ति किया जायेगा। संस्थानों के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क में सम्बद्धता से सम्बन्धित परीक्षाएं प्रदान किये जाने वाली संस्थानों पर प्रभावी होगी, और लखनऊ कार्यालयों किता

(Handwritten Signature)

(Handwritten Signature)
Principal
Acharya Chanakya Mahavidyalaya
Faculty of Pharmacy Mahmoodpur
Suar, Sultanpur (U.P.)

काय न्यायकार होता। कोल निर्देशन समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु बीस वा पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो कोल को नवीनायक बने स्वंगु होगी।

- ✓ सत्र का (जबसे) प्राथमिक शिक्षा अभिवृद्धि तथा उप समितियों, कक्षाओं को संबद्ध किया जाता। विद्यार्थियों-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ सत्र में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा जारी किए गए को ही प्रवेश दित्त जायेगा। कोलो के विना यह करने की स्थिति में कलर प्रवेश कालन को निर्दिष्टानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ सत्र को समस्त-समस्त नए निर्मित कक्षाओं को अनुसूचित विद्यार्थी एवं कार्यवाही शुरू करवा करना होगा।
- ✓ सत्र को एचआइवी/एड/सीडी/सीडी-4 से संघर्ष कर हेतु अनुसूचित प्रवेश दिया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ सत्रा कलर प्रवेश कालन द्वारा बनने पर विधि/निर्देश/अभिवृद्धि/कार्यवाही/निर्देशों एवं निर्देशांक/प्राथमिक शिक्षा 2020, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2020 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा कलर एवं निर्देशों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का ध्यान करने को विशेष बाध्य होगी।
- ✓ किलोमिटर इन कमेंसो कार्यक्रम को सत्राएत परी पौली/आई नॉ किलो को अनुसूचित प्राप्त करने में अग्रक्रम रखी है जो इस सत्र में समस्त कक्षाओं/कक्षाओं को होगा और विधिक रूप से किलो को कार्यवाही के लिए संस्था सत्रा सत्राएत होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशांक एवं प्राथमिक शिक्षा विद्यालय कलर प्रवेश कालन को कोई भी बाधक विचार नहीं है तथा कलर सत्र को संस्था में नए न्यायकार द्वारा किलो प्रवेश की कार्यवाही संस्था आदेश निर्देश किया जाता है जो समस्त प्रविष्टियों सम्बन्धित सत्रा को करणी होगी।
- ✓ किलोमिटर इन कमेंसो कार्यक्रम को सत्राएत परी पौली/आई नॉ किलो को अनुसूचित प्राप्त करने में अग्रक्रम रखी है जो इस सत्र में समस्त कक्षाओं/कक्षाओं को होगा और विधिक रूप से किलो को कार्यवाही के लिए संस्था सत्रा सत्राएत होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशांक एवं प्राथमिक शिक्षा विद्यालय कलर प्रवेश कालन को कोई भी बाधक विचार नहीं है तथा कलर सत्र को संस्था में नए न्यायकार द्वारा किलो प्रवेश की कार्यवाही संस्था आदेश निर्देश किया जाता है जो समस्त प्रविष्टियों सम्बन्धित सत्रा को करणी होगी।
- ✓ किलोमिटर इन कमेंसो कार्यक्रम को सत्राएत परी पौली/आई नॉ किलो को अनुसूचित प्राप्त करने में अग्रक्रम रखी है जो इस सत्र में समस्त कक्षाओं/कक्षाओं को होगा और विधिक रूप से किलो को कार्यवाही के लिए संस्था सत्रा सत्राएत होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशांक एवं प्राथमिक शिक्षा विद्यालय कलर प्रवेश कालन को कोई भी बाधक विचार नहीं है तथा कलर सत्र को संस्था में नए न्यायकार द्वारा किलो प्रवेश की कार्यवाही संस्था आदेश निर्देश किया जाता है जो समस्त प्रविष्टियों सम्बन्धित सत्रा को करणी होगी।
- ✓ कलर प्रवेश कालन द्वारा प्रवेश हेतु निर्मित नवीनायक आवास निर्माण का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ सत्रा को कलर कक्षाएत पर सत्रा को समस्त प्रवेश जैसे सत्रा को ऐतिहासिक प्रतिभूति, सत्रा, सत्रा-सत्रा, प्रवेशकालन प्रवेश किया जाने कलर शुरू, कलरकालन शुरू आदि को किलो उपलब्ध करवाया होगा।
- ✓ सत्रा को शिक्षा-प्रविष्टि हेतु कोयुक्त प्रवेशकालन उपलब्ध कराने के साथ सत्रा सत्रा को सत्रा में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ सत्रा यह सुनिश्चित हो ले कि सत्रा में प्रस्तावित/संभावित प्रवेशकालन को प्रवेश करने हेतु निर्दिष्ट स्थिति को सत्रा उपलब्ध कराने एवं अभिवृद्धि सुनि-एवं कमेंसो उपलब्ध इत्यादि का यदि सत्रा द्वारा किलो अन्य प्रायसकालन को सत्राएत में प्रथम किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि सत्रा उपलब्ध का प्रवेश किलो अन्य कार्य के लिए कर रही है तो सत्राएत सत्रा को सम्बद्धता समस्त किलो जाने की अनुसूचित की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता सत्रा का अनुसूचित न किलो जाने कलर सत्रा का उत्तरदायित्व किलो जाने की स्थिति में निर्धारण अनुसूचितसमस्त कार्यवाही की जायेगी।

(का कार्यवाही विधि)
सचिव

पुनः- प्राथम/परिषद संक्रमांक/2020/ 1972-3141

दिनांक- 15-09-2020

प्रतिनिधि-कक्षाएत/निदेशक, आचार्य चणक्य न्यायविद्यालय सेक्टर 1 जीएफ पार्सो, महमूदपुर सेनारी सुल्तानपुर।

(का कार्यवाही विधि)
सचिव

Acharya
Principal
Acharya Chanakya Mahavidyalaya
Faculty of Pharmacy Mahmoodpur
Senari, Sultanpur (U.P.)

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राविध/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करके हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2044-ACHARYA CHANKAYA MAHAVIDYALYA FACULTY OF PHARMACY MAHMOODPUR SEMARI,SULTANPUR-228142

| क्र०सं० | पाठ्यक्रम का नाम | ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता | परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता |
|---------|---------------------|---|---|
| 1 | DIPLOMA IN PHARMACY | 60 | 60 |

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवर्ती 1992, सेमेस्टर विनियमवर्ती-2018 तथा अन्य निर्मित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। जिस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवर्ती-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में सफल प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क

Principal
Acharya Chankaya Mahavidyalaya
Faculty of Pharmacy Mahmoodpur
Semari, Sultanpur (U.P.)

- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0वी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएँ यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक वृद्धि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपरोक्त वतावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0वी0सी0आई0 परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निपटानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पुवसं0- प्राशिव/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, ACHARYA CHANKAYA MAHAVIDYALYA FACULTY OF PHARMACY
MAHMOODPUR SEMARI, SULTANPUR-228142


Principal

Acharya Chankaya Mahavidyalaya
Faculty of Pharmacy Mahmoodpur
Semari, Sultanpur (U.P.)



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

कार्यालय

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/9755

लखनऊ: दिनांक: 10/10/2022

:-कार्यालय जाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 10/10/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।


सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2044-ACHARYA CHANKAYA MAHAVIDYALYA FACULTY OF PHARMACY

| क्र०सं० | पाठ्यक्रम का नाम | ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता | परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता |
|---------|---------------------|---|---|
| 1 | DIPLOMA IN PHARMACY | 40 | 40 |

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रू०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संपुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संपुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संपुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संपुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु अपोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैमिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।


Principal
Acharya Chanakya Mahavidyalaya
Faculty of Pharmacy Mahmoodpur

संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

- ✓ संस्था के औबक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

Rihan

(एफ०आर० खान)

सचिव

पू०सं०- प्राशिय/परिषद सम्बद्धता/2022/9756-9830

दिनांक: 10/10/2022

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, ACHARYA CHANKAYA MAHAVIDYALYA FACULTY OF PHARMACY

Rihan

(एफ०आर० खान)

सचिव

Arjun
Principal
Acharya Chankaya Mahavidyalaya
Faculty of Pharmacy Mahmoodpur
Senari, Sultanpur (U.P.)